(171)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के तृतीय त्रैमास, अक्टूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 हेतु किरासन तेल के आवंटन में वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय त्रैमास हेतु कर्णांकित आवंटन से लगभग 5 प्रतिशत की कटौती किया गया है । भारत सरकार के द्वारा उक्त आवंटित किरासन तेल की मात्रा में कटौती एवं भारत सरकार द्वारा घोषित स्वैच्छिक कटौती की नीति के लागू किये जाने के फलस्वरूप तृतीय त्रैमास के माह नवम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक निम्नरूपेन कंडिकावार किरासन तेल वितरण की व्यवस्था की जाती है :–

(1) माह नवम्बर, 2017 से अगले आदेश तक राज्य के शहरी क्षेत्रों यथा नगर परिषद्, नगर पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्रों के किरासन तेल के आवंटन को बंद किया जाता है।

(2) माह नवम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित 1,47,65,844 ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 2 लीटर की दर से कुल 29531688 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है एवं 30,63,222 Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को आधार सं0/पूर्व निर्गत ए.पी.एल. कार्ड एवं बैंक एकाउन्ट के आधार पर ठेला भेंडर के माध्यम से किरासन तेल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह देय मात्रा 750 लीटर ।

(4) राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/ईकाईयों एवं नेपाल से सटे जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस पोस्टों हेतु प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर किरासन तेल का प्रावधान किया जाता है ।

(5) जिला सुरक्षित मद में विभिन्न जिलों में अवस्थित कार्यालयों के आधार पर जिलों को वर्गीकृत करते हुए निम्न रूप में सुरक्षित मद के उपावंटन की व्यवस्था की जाती हैः–

(i) जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में संस्थान हैं क्रमशः पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर 6067 लीटर प्रतिमाह ।

(ii) जिले जहाँ विश्वविद्यालय एवं प्रमंडलीय मुख्यालय अवस्थित है, भोजपुर एवं सारण 5308 लीटर प्रतिमाह ।

(iii) वैसे जिले जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय या विश्वविद्यालय अवस्थित है, क्रमशः मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, नालन्दा एवं मधेपुरा 4550 लीटर प्रतिमाह ।

(iv) कंडिका (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष 26 जिलों के लिए 3791 लीटर प्रतिमाह ।

(v) आपदा एवं विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु सभी जिलों को 12000 लीटर का अतिरिक्त आवंटन दिया जायेगा जिसका वितरण जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में प्रभावित लाभुकों को वितरित किया जायेगा एवं माह के अन्त में किरासन तेल की अवशेष मात्रा जिलों द्वारा प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा।

इसके पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

Sd/- 17/XI

(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र07– कि0आ0–01/2017 5829 खाद्य/पटना, दिनांक– 17/11/2017

प्रतिलिपि– सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खाद्य/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 17/XI/XVII

सरकार के अपर सचिव ।

D:\M_2016\Sec_7\K.Oil Order.doc